eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

भारत में महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियां व संभावनाएं

[1]डॉ0 अरविन्द कुमार शुक्ल
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर उ0प्र0।

Received: 10 Jan 2022, Accepted: 20 Jan 2022, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2022

Abstract

महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास प्रदान करना। यदि कोई महिला अपने और आपने अधिकारों के बारे में सजग है, यदि उसका आत्मसम्मान बढ़ा हुआ है तो वह सशक्त है, समर्थ है। महिला हितों की जब भी बात की जाती है, तब सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है, पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती। इन परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात बेमानी लगती है, भले ही उन्हें कई कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। क्योंकि जब तक महिलाओं का वास्तविक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक वह अपने कानूनी अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकेंगी।

शब्द संक्षेप– महिला सशक्तिकरण, भारत में महिलाएं, विभिन्न चुनौतियां व संभावनाएं।

Introduction

समाज में आम तौर पर महिलाओं को विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ समस्याओं का उल्लेख और वर्णन नीचे किया गया है।

- लैंगिक भेदभाव भारत में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं में से एक है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। महिलाओं के साथ कार्यस्थल, समाज और यहां तक कि घर पर भी भेदभाव किया जाता है।
- कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। भारत में पुरुषों में 82.17 की तुलना में केवल 65.46 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है।
- इसी तरह, महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता है। कुछ कार्यस्थलों में, महिलाओं को अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- महिलाओं के साथ प्रायः घरेलू हिंसा अधिक बार होती है। घरेलू हिंसा के साथ दहेज प्रथा यहां तक कि अत्याचार, उत्पीड़न और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि 'हिन्दू कोड बिल' महिला सशक्तिकरण का ब्लू प्रिंट था। जिन व्यवस्था तंत्र और मानसिकता के कारण महिलाओं को कमजोर, अधिकारविहीन और पंगु बनाया गया। संपत्ति के अधिकार से वंचित कर शिक्षा से दूर रख कर चहार दीवारी के भीतर घुट–घुट कर जीवन

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

गुजारने पर मजबूर किया गया। उन सभी मानसिकताओं, धार्मिक कुरीतियों और उसके तंत्र के साथ–साथ उस व्यवस्था को बनाये रखने वाली मानसिकता का विरोध हिन्दू कोड बिल में था।

'हिन्दू कोड बिल' एक सामाजिक कानून है। यह कानून स्त्रियों की अस्मिता, उसके अस्तित्व और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। यह कोड बिल हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, गोद लेना अल्पायु संरक्षण अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, निर्बल तथा साधनहीन परिवार के सदस्यों का भरण पोषण अधिनियम, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, संपत्ति का अधिकार अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, स्त्री शिक्षा अधिनियम, तलाक अधिनियम, अंतर्जातीय विवाह अधिनियम की वैद्यता, बहुविवाह निषेध अधिनियम आदि सभी अधिनियमों का सविस्तार तर्कसंगत और वैज्ञानिक विश्लेषण कर महत्ता को रेखांकित करता है, परंतु यह संविधान में पारित नहीं हुआ है।

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों ने पिछले 10–15 वर्षों में महिला शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, सामान्य तौर पर ऐसा देखने में आया है कि पुरुष पंचायत प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्यों पर ही जोर दिया है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं होती हैं। शुरुआती दौर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने भी कठपुतली की तरह पुरुषों के इशारे एवं दबाव में उनकी मर्जी के खिलाफ अलग कार्य नहीं किया। वैसे अधिकांश जगहों पर महिला पंच–सरपंच मुखर तो हुई हैं, पर सामाजिक मुद्दों के प्रति उनमें अभी भी उदासीनता है। फिर भी देश में महिला पंचों एवं सरपंचों से ही सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने की अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि सामाजिक सशक्तिकरण के लिहाज से यह उनके लिए भी जरूरी है।

उपलब्धियों, विकास एवं उत्थान के लम्बे सफर के बावजूद अभी भी लाखों करोड़ों महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। इनमें ग्रामीण महिलाओं की संख्या ज्यादा है, चूंकि उनमें साक्षरता, जागरूकता की कमी है। केन्द्र सरकार ने ऐसी महिलाओं को ही लक्षित कर कल्याणकारी योजनाएं बनायी हैं। जहां गर्भवती महिलाओं के लिए गोदभराई योजना, पूरक पोषक आहार योजना, जननी सुरक्षा योजना जैसी कई योजनाएं हैं, वहीं लाडली और लक्ष्मी योजना, बालिकाओं को एच्छिक और आत्मनिर्भर जीवन देने की सार्थक कोशिश है।

गांव की प्रतिभाशाली बेटी और उच्च शिक्षा के लिए गाँव की बेटी योजना और गरीब बालिकाओं के लिए साइकिल प्रदाय योजना आदि अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय बाल नीति के तहत भी बालिकाओं को सशक्त करने हेतु लगभग 4600 परियोजनाएं देश भर में चल रहीं हैं।

महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा के कार्यक्रम

1. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना
2. वन स्टॉप सेंटर योजना
3. महिला हेल्पलाइन योजना

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

4. उज्जवला–अवैध व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और अवैध व्यापार और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के पुनः एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना
5. कामकाजी महिला छात्रावास
6. मंत्रालय ने उज्ज्वला योजना के तहत नई परियोजनाओं को मंजूरी दी और मौजूदा परियोजनाओं को जारी रखा
7. स्वाधार गृह (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक योजना)
8. नारी शक्ति पुरस्कार,
9. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
10. स्त्री शक्ति पुरस्कार, 2014 के पुरस्कार विजेता और नारी शक्ति पुरस्कार के पुरस्कार विजेता
11. राज्य महिला सम्मान और जिला महिला सम्मान के पुरस्कार विजेता
12. महिला पुलिस स्वयंसेवक
13. महिला शक्ति केंद्र (एमएसके)
14. निर्भया फन्ड की व्यवस्था

निर्भया फंड

देश में महिलाओं के लिए संरक्षा और सुरक्षा को

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	2013-14	2014-15	2015- 16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आवंटन (करोड़ रुपये में)	1000.00	1000.00	-	707.62	550.00	550.00	550.00	500.00*

*महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आबंटित राशि

15. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
16. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
17. सुकन्या समृद्धि योजना
18. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना
19. फ्री सिलाई मशीन योजना
20. समर्थ योजना

नारी एक आवश्यक इकाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास पूरे राष्ट्र को आकार देने की शक्ति है। हालांकि, महिलाएं जन्म से ही कई समस्याओं का सामना करने के लिए काफी मजबूत होती हैं। अभी भी तेजाब फेंकने के मामले हो रहे हैं। इससे महिलाओं के लिए खतरनाक माहौल बन जाता है। जो किसी भी आदर्श समाज के लिए उचित नही है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 01, Jan 2022

संदर्भ सूची

1. भारत 2021, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली पृष्ठ 354, 55, 577
2. भारत 2021, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली पृष्ठ 254, 55, 578
3. दैनिक जागरण, 04 –01–2021, कानपुर संस्करण
4. अमर उजाला,04–02–2021, कानपुर संस्करण
5. हिन्दू, 17–02–2021, दिल्ली संस्करण